संख्या-3/2019/737/96-आयुष-1-2019-369/2018

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
यूनानी सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 12 फरवरी, 2019**

विषय- राजकीय यूनानी चिकित्सालय, 04 बेडेड सिसौरा नासिर, जनपद लखीमपुर खीरी के भवन निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2/2019/648/96-आयुष-1-2019-369/2018 दिनांक 06.02.2019 के संदर्भ में अपने पत्र संख्या-7293/यू0नि0/2018-19; दिनांक 07.02.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय यूनानी चिकित्सालय, 04 बेडेड सिसौरा नासिर, जनपद लखीमपुर खीरी के भवन निर्माण संबंधी शासन के पत्र संख्या-2/2019/648/96-आयुष-1-2019-369/2018 दिनांक 06.02.2019 के पृष्ठांकन क्रम संख्या-3 में "मुख्य कोषाधिकारी, लखीमपुर खीरी" के स्थान पर "मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ" एवं पृष्ठांकन क्रम संख्या-5 में "क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, लखीमपुर खीरी" के स्थान पर "क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, लखनऊ मण्डल लखनऊ" पढा जाय।

3- उक्त आदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय

लक्ष्मण सिंह
अनु सचिव।

संख्या-3/2019/737(1)/96-आयुष-1-19, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, लखनऊ मण्डल लखनऊ (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)।
(6) प्रभारी चिकित्साधिकारी, राजकीय यूनानी चिकित्सालय, सिसौरा नासिर, लखीमपुर खीरी (द्वारा निदेशक, यूनानी)।
(7) अधिशाषी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ (पूर्व नाम उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड) (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)।
(8) आयुष अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

लक्ष्मण सिंह
अनु सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in